मुकदमा सं0- 461 / 65 / 04
उनवान- नाथू बनाम कल्याण
निर्णय दिनांक- 14.07.2017

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

उनवान

1. नाथू पुत्र श्री भूरा जाति अहिर निवासी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र उमदा जाति मीणा निवासी
2. कालू पुत्र नारु मीणा
3. बलवीर पुत्र नारु मीणा
4. सांवर पुत्र नारु मीणा
5. नारु पुत्र गणेश जाति मीणा
   निवासीयान ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक चौमूं जिला जयपुर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार, दुरुस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:-461 / 65 / 04

निर्णय

दिनांक :-14.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 है0, जिसके गत खसरा नम्बर 552/1 गैर मुमकिन नदी दर्ज था कि खातेदारी आज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 552/1, गैर मुमकिन नदी जिसके हाल खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हैक्टेयर पर वादी का बेजमाने बुजर्गान व जागिर के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि पर वादी से पूर्व वादी के पिता भूरा पुत्र ईसरा का कब्जा काश्त था। तथा उसके पश्चात् वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जबकि विवादित भूमि पर कभी भी किसी भी हैसियत से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। संवत 2008 से 2035 तक की भी राजस्व रिकार्ड में वादी का ही कब्जा काश्त दर्शाया गया है, तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हैक्टेयर में सिंचाई के साधन खसरा नम्बर 2069 गैर मुमकिन चाह से ही सिंचाई होना बताया गया है जो कुंआ वादी का है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि विवादग्रस्त भूमि बेजमाने बुर्जगान से ही वादी के कब्जे काश्त में रही है, तथा वादी द्वारा ही विवादित भूमि में अपनी कुये से सिंचाई कर काश्त करता आ रहा है। विवादित आराजियात वादी की अन्य खातेदारी भूमियों की सिंव लगवा ही है, तथा वादी ही उस पर बैहेसियत खातेदार काबिज होकर निर्बाद रुप से काश्त करता आ रहा है, तथा चारों ओर से लोहे के तारों की बाउण्डरी वाल लगी हुई हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का सहवन से गलत तरीके से व साजिश पूर्वक राजस्व रिकार्ड में अंकन हो जाने के कारण गलत फायदा उठाते हुए दिनांक 10.02.2004 को एक राय होकर वादी की कब्जे काश्त की भूमि को जबरन हडप करने की नियत से हाथों में लाठियां लेकर आये जिस पर वादी ने उस समय तो वह समझा बुझा दिया कि विवादित भूमि मेरे पिताजी के समय से ही मेरे कब्जे काश्त में है, उस समय तो प्रतिवादीगण चले गये परंतु दिनांक 13.02.2004 को पुनः एक नाजायज गिरोह बनाकर विवादित भूमि पर कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की मन्शा से विवादित स्थल पर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आये, जिस पर वादी व वादी के अन्य भाईयों ने विरोध किया जो विपक्षीगण अपने इरादो में कामयाब नही हुये और पुनः लौट गये। उक्त दिनांक 13.02.2004 की घटना की सूचना वादी द्वारा थाना चौमूं पर लिखित रुप में दी गई जिस पर थानाधिकारी द्वारा मौके की तफतीस कराई गई व अडौसी पडौसियों के बयानात लिये गये, जिसमें भी वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त बताया गया है, तथा चारों और वादी द्वारा ही तार बाउण्डरी करना बताया गया हैं। इस पर दिनांक 10.02.2004 व दिनांक 13.02.2004 की घटना से वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने के असफल प्रयास से उत्पन्न हुआ जो आज भी निरंतर जारी है। इस कारण वह वाद श्रीमान के समक्ष पेश कारना लाजिम आया। विवादित भूमि पर वादी बेजमाने बुजुर्गान अपने पिता के समय से ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, परंतु गलत तरीके से प्रतिवादी नं 1 की नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने के कारण वादी द्वारा वाद घोषणा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात पर जागीर के समय से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा आज भी वादी ही विवादित भूमि पर अपने स्वयं के कुये से सिंचाई कर विवादित भूमि में काश्त कर रहा है। इस कारण वादी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वो विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती स्वयं के नाम करवाये।

वादी ने उक्त वाद में निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की डिक्री जारी की जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजब किया जावें। विवादित खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण 1 लगा 5 को इस प्रकार स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वो वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि से करावें। वादी का खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में नोटिस के जवाब में गैर सायलान उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि विवादित आराजी की खातेदारी अन्य आराजी खसरा नम्बर 1688 से 1694 जो भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन की गई थी जिसके एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण है तथा इन्ही का कब्जा काश्त हैं। यह तथ्य भी गलत है कि कालाडेरा जागीर का ग्राम था। वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और कभी भी बहैसियत खातेदार काश्त नही की। यह तथ्य भी गलत है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि की सिंचाई पडौसी खातेदार के कुऐ से पानी लेकर करता था तथा मात्र इसी अंकन का फायदा उठाकर वादी प्रतिवादीगण जो अनुसूचित जन जाति के खातेदार काश्तकार हैं कि आराजी को हडपना चाहता हैं जिसका वादी को कोई अधिकार नहीं हैं। तथा विवादग्रस्त भूमि पर आंवटन के बाद से प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है तथा किसी पडौसी खातेदार से मात्र सिंचाई हेतु पानी लेने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। विवादित भूमियों पर प्रतिवादीगण वहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं तथा अपनी इस भूमि सहित अन्य भूमियों को लोहे के तारों से बाउण्ड्री वाल की हुई हैं। मात्र पडौस में वादी के पिता की भूमि होना स्वीकार हैं। प्रतिवादीगण 1 तथा दुर्गा देवी खातेदार/काश्तकार हैं जिन्होंने किसी प्रकार की साजिश नहीं रची दिनांक 10.02.2004 को प्रतिवादीगण एक साथ नहीं थें, भूमियां प्रतिवादीगण 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त में हैं जिस कारण हडप करने जैसे कोई बात नहीं हैं। बेदखल करने की बात भी मनगढंन्त हैं जब वादी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त या अधिकार ही नहीं हैं तो बेदखल करने की बात पूर्णतया गलत हैं। दिनांक 13.02.2004 की रिपोर्ट पेश कर थानाधिकारी से कुछ भी लिखवा लिया हो तो प्रतिवादीगण को ज्ञात नहीं हैं तथा किसी भी फौजदारी कार्यवाही को राजस्व मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि का आवंटन प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण को हुआ था उसके बाद लगातार निर्बाध रुप से प्रतिवादी संख्या 1 एवं दुर्गादेवी काबिज काश्त हैं, नहीं वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई उज्र किया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी को निर्बाध

(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

प्रकरण क्र. [illegible]
[illegible]
निर्णय दिनांक - 14.07.2017

[illegible] है। [illegible] वादी के पिता ने प्रतिवादीगण [illegible] हेतु [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। न ही वादी [illegible] का अधिकारी है। प्रतिवादीगण की [illegible] है और प्रतिवादीगण [illegible] की आवश्यकता नहीं [illegible] खातेदारी अधिकार नहीं है [illegible] का अधिकारी नहीं है और न ही [illegible] अधिकार है।

प्रकरण में तहसीलदार [illegible] से तत्संबंध रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम [illegible] की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की खाता संख्या 50 में खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हेक्टेयर [illegible] 2 की खातेदारी [illegible] 200/202 [illegible] 20/202 [illegible] दर्ज है। मौके में अब्दुल रहमान [illegible] लगा हुआ है। संबंध [illegible] के अनुसार 552/1 [illegible] में खसरा नम्बर 1687 बना हुआ है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीर अवलोकन किया गया। ग्राम [illegible] में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हे0 जिसके पास खसरा नम्बर 552/1 [illegible] दर्ज दिखाई है। प्रकरण में तहसीलदार [illegible] से तत्संबंध रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम [illegible] की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की खाता संख्या 50 में खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हेक्टेयर [illegible] 2 की खातेदारी [illegible] 200/202 [illegible] 20/202 [illegible] दर्ज है। मौके में अब्दुल रहमान [illegible] लगा हुआ है। संबंध [illegible] के अनुसार 552/1 [illegible] में खसरा नम्बर 1687 बना हुआ है। उक्त भूमि पर वादी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पत्र पेश कर रखा है। उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है साथ ही उक्त खसरा नम्बर 1687 पर अब्दुल रहमान का [illegible] लगा है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1687 की किसी को भी खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। न्यायालय अभिमत में वादी का वाद प्रतिबंधित भूमि व अब्दुल रहमान के [illegible] चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

अतः वादी का वाद पत्र अब्दुल रहमान [illegible] के निराकरण के उपरान्त पुनः दावा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। [illegible] जारी हो। पत्रावली [illegible] तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
सहायक [illegible]
एवं कार्यपालक [illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ

:- पीठासीन अधिकारी श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

उनवान

1. नाथू पुत्र श्री भूरा जाति अहिर निवासी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र उमदा जाति मीणा निवासी
2. कालू पुत्र नारु मीणा
3. बलवीर पुत्र नारु मीणा
4. सांवर पुत्र नारु मीणा
5. नारु पुत्र गणेश जाति मीणा
   निवासीयान ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक चौमूं जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरुस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–461/65/04　　　　　　　　　　निर्णय दिनांक:– 14.07.2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी .... मिन जामिन मुददई रुबरु श्री प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

ग्राम कालाडेरा की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की खाता संख्या 50 में खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.20 हैक्टेयर चाही 2 की खातेदारी कल्याण दत्त पु0 उमदा हि0 200/202 मदनलाल कालूराम बलवीर सांवरमल पितता नाहरु हि0 20/202 जाति मीणा सा0 देह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी में अब्दुल रहमान बनाम सरकार का पेन्सीली नोट लगा हुआ है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 552/1 मी. से खसरा नम्बर 1687 बना हुआ है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है साथ ही उक्त खसरा नम्बर 1687 पर अब्दुल रहमान का नोट लगा है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1687 की किसी को भी खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नहीं है। न्यायालय अभिमत में वादी का वाद प्रतिबन्धित भूमि व अब्दुल रहमान के अन्तर्गत आने से चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

अतः वादी का वाद–पत्र अब्दुल रहमान नोट के निरतारण के उपरान्त पुनः दावा दायर करने के स्वतन्त्रता के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निजी ....मवलिक .... बावत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.07.2017 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–461/65/04
उनवान– नाथू बनाम कल्याण
निर्णय दिनांक– 14.07.2017

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	3	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	4	जोड	1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner